न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 168 / 2023

अनवान : –

1. राकेश पुत्र अमरसिंह जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. अमरसिंह पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
2. शर्मिला पुत्री अमरसिंह जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
3. सुनिता पुत्री अमरसिंह जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
4. बुद्धराम पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
5. दिलावर पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
6. रोशनी पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
7. बादो पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
8. कृष्ण पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
9. कमला पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
10. मन्जु पुत्री विमला पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
11. मुकेश पुत्र विमला पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
12. सरला पुत्र बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
13. मनोहर पुत्र बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
14. विद्या पुत्री बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
15. नाथी पत्नि बन्ताराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
16. कृष्णलाल पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
17. गिरदावरी पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
18. विमला पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
19. मैंदा पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
20. पाता पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी बड़बिराना तहसील नोहर
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
22. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता सायल

निर्णय दिनांकः 06/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान [illegible] अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 7 [illegible] स0 75 / 74 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 4049 / 45540 हिस्सा [illegible] मौजा 3 आरएम[illegible]सील नोहर के खाता स0 76 / 69 की कुल 10.9800 हैक्ट भूमि में [illegible] 1219 / 27450 हिस्सा [illegible] सहीराम पुत्र चन्दू के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:59 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सहीराम पुत्र चन्दू के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की प्रार्थी का दादा है सहीराम पुत्र चन्दू का देहान्त हो चुका है सहीराम के एक पुत्र बन्ताराम का भी देहान्त हो चुका है एवं बन्ताराम के एक पुत्र रणजीत अविवाहित फौत हो चुका है एवं रामकुमार व रामकुमार की एक पुत्री विमला का भी देहान्त हो चुका है। सहीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण है जो की सहीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। लेकिन अप्रार्थीगण अनुचित तरीके से सहीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है एवं प्रार्थी को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहते है अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 7 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 75/74 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 4049/45540 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता स0 76/69 की कुल 10.9800 हैक्ट भूमि में से 1219/27450 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सहीराम पुत्र चन्दू के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की प्रार्थी का दादा है सहीराम पुत्र चन्दू का देहान्त हो चुका है सहीराम के एक पुत्र बन्ताराम का भी देहान्त हो चुका है एवं बन्ताराम के एक पुत्र रणजीत अविवाहित फौत हो चुका है एवं रामकुमार व रामकुमार की एक पुत्री विमला का भी देहान्त हो चुका है। सहीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण है जो की सहीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। लेकिन अप्रार्थीगण अनुचित तरीके से सहीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है एवं प्रार्थी को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहते है अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के मुताबिक उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सहीराम पुत्र चन्दू के नाम दर्ज है जो की प्रार्थी का दादा है का देहान्त हो चुका है अर्थात वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:59 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक के नाम दर्ज है एवं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि अप्रार्थीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज ही नही है इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/01/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:59 IST
Reason: SelfAttested